1986 ...

आपका पत्र कमांक मा.चि./रोशिया तालाब/2018/4923 ...

विषय संबंध में लेख है कि रोशिया तालाब के डूब एवं नहर में प्रभावित 29.84
का प्रकरण आनलाईन दर्ज है, पश्चात् योजना के डूब में प्रभावित 220 के.व्ही. औ
एवं 132 के. व्ही. बडवाह छेगॉव, लाईन के टावर अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु 9.875 हे
ावित होगी। इस प्रकार योजना मे कुल 39.715 हेक्टर वन भूमि प्रभावित होगी। संद
बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है –

मांक 1 – निरीक्षण आपके स्तर से किया जाना प्रस्तावित है।

मांक 2 – योजना में प्रभावित वन एवं राजस्व भूमि का स्पष्ट स्थल सीमांकन क
निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

मांक 3 – अद्यतन प्रभावित वन भूमि का कक्षवार विवरण निम्नानुसार है –

क.	वन वृत्त जिला	कक्ष कमांक	प्रभावित वन भूमि (हेक्टर
1	2	3	4
1	खण्डवा	5	36.315
2	खरगोन	967	1.300
		966	2.100
	योग –	–	39.715

ांक 4 – योजना के डूब क्षेत्र, बॉध एवं नहर निर्माण में 4 ग्राम कमशः जि
का ग्राम तोरणी की 26.511 हेक्टर एवं जिला खरगोन के ग्राम भा
0.55 हेक्टर, ग्राम बंझर की 55.358 हेक्टर एवं ग्राम सोमला की 1
निजी भूमि प्रभावित होती है। इस प्रकार योजना में प्रभावित कुल
82.419 हेक्टर (गैर वनभूमि) होती है। प्रभावित कुल 82.419 हेक्टर
में राजस्व वन भूमि सम्मिलित नहीं है। डूब, बॉध एवं नहर में प्र
वनभूमि का ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है –

क.	ग्राम का नाम	प्रभावित वन भूमि	प्रभावित निजी भूमि(गैर व
1	2	3	4
1	तोरणी	36.315	26.511
2	भातलपुरा	0.000	0.550
3	बन्झर	2.100	42.918
4	सोमला	1.300	12.440
	योग –	39.715	82.419

बिन्दु कमांक 5 – प्रस्तावित योजना का उपवनमण्डलाधिकारी, भीकनगांव, के मौखिक निर्देशानुसार परिक्षेत्र सहायक भीकनगांव का संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

बिन्दु कमांक 6 – चेक लिस्ट के अनुसार योजना की Image (50 KB से कम) जे.पी.ई.जी. फाईल एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं ईमेज एवं फोटोग्राफ, के.एम.एल फाईल (संलग्न) प्रस्तुत की जा रही है।

बिन्दु कमांक 7 – प्रस्तावित योजना में राजस्व वनभूमि, छोटे बडे झाड़ जंगल मद की प्रभावित होने संबंधि, संबंधित तहसीलदार का प्रतिवेदन संलग्न है।

बिन्दु कमांक 8 – वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जा रही गैर वनभूमि का एकीकृत पटवारी मानचित्र एवं खसरा प्रति जिसमें राजस्व मद का स्पष्ट उल्लेख हैं, संलग्न है।

बिन्दु कमांक 9 – वन विकास निगम, खण्डवा के उपवन क्षेत्रपाल एवं वनरक्षक द्वारा दिनांक 19.07.2019 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, तद्नुसार उनसे कार्यालयीन पत्र कमांक 4339/कार्य/दिनांक 22.07.2019 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है, जो अपेक्षित है।

बिन्दु कमांक 10 – योजना स्थल पर दिनांक 30.01.2019 को संयुक्त निरीक्षण कर सीमांकन कराया गया है, संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

बिन्दु कमांक 11 – प्रकरण में पंजीयन राशि रूपये 1,000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 5,000/– इस प्रकार कुल राशि रूपये 6,000/– का डी.डी. प्रस्तुत कर दि गया है।

सहपत्र – उपरोक्तानुसार।

(पी. के. ब्राहम्णे)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खरगोन

पृ. क. /कार्य/रोशिया वन/2020 खरगोन, दिनांक / /2020

प्रतिलिपिः–

अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, भीकनगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देश है कि उक्तानुसार शेष बिन्दुओ की कार्यवाही पूर्ण करे तथा प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही करे तथा भविष्य में वेब पोर्टल पर वन विभाग के दर्ज पत्रों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

Sd/–
(पी. के. ब्राहम्णे)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खरगोन

मौका पंचनामा

हम पंचनामा नीचे हस्ताक्षर करने वाले [illegible] कि [illegible] सच तस्दीक करते है कि आज दिनांक 19.07.2017 को परिक्षेत्र अधिकारी खण्डवा (सा.), सहायक परिक्षेत्राधिकारी [illegible] (सा.) परिसर प्रभारी [illegible] उप वनक्षेत्रपाल श्री डी.पी. सोलंकी (व.वि.नि.) अनुविभागीय अधिकारी श्री [illegible] चौहान जल संसाधन उपसंभाग [illegible] उपयंत्री श्री [illegible] खण्डवा एवम वन [illegible] के समक्ष [illegible], वनमण्डल कार्या. खण्डवा (सा.) के आदेश क्र./मा.चि./सिंचाई/2017/1392 दिनांक 02/05/2017 एवं कार्या. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खरगोन के आदेश क्र. 1466/कार्य/[illegible] तालाब/2017 दिनांक 10/05/2017 के पालनार्थ आरक्षित वन कक्ष क्र. 05 मे आये। संयुक्त दल द्वारा वन संरक्षण अधिनियम सन: 1980 के तहत योजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित वन क्षेत्र रकबा 26.62 हे. का भूमि सत्यापन किया गया वन भूमि सत्यापन के दौरान जी.पी.एस. मशीन से डूब क्षेत्र कि माप कि गई जिसमे मौके मे रकबा 26.44 हेक्टर डूब का क्षेत्र पाया गया। मौके मे कटशीट से तैयार कर नजरी नक्शा बनाया गया जिसपर जी.पी.एस. मशीन से लिये गये निर्देशांक चिन्हीत किये गये। जिसकी सुची संलग्न कि गई।

पंचनामा हम पंचो के समक्ष लिखा गया, बाद में पढ़ सुनकर हस्ताक्षर किये सो सही।

पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया।

[signature]
[illegible]
ओम्प्रकाश दुबे (व.र.)

पंचो के हस्ताक्षर

1. जगदीश आ. पुरणसिंग — जगदीश
2. देवेन्द्र आ. दगडु मोरे — देवेन्द्र मोरे

[signature]
दुर्गा प्रसाद सोलंकी
उप वन क्षेत्रपाल
कक्ष क्रमांक 5
पंचम खण्डवा इकाई
वन विकास निगम (म.प्र.)

पंचनामा मेरे समक्ष लिपिबद्ध किया गया।

[signature]
[illegible]

[signature]
[illegible] चौहान
अनु. अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
[illegible]

[signature]
[illegible]
[illegible]
जल संसाधन [illegible] संभाग
[illegible]

<u>मौका पंचनामा</u>

हम निचे हस्ताक्षर करने वाले पंचगण यह सत्‌-सत्य पंचनामा लिखा देते है कि आज दिनांक 06.02.2018 को श्रीमान उप वनमंडलाधिकारी भीकनगांव के मौखिक निर्देशानुसार परिक्षेत्र सहायक भीकनगांव, उपयंत्री जल संसाधन, भीकनगांव, बीटगार्ड आल्लपुरा के हमराह बीट आल्लपुरा के कक्ष क्रमांक 966 में रोशिया तालाब से डूब में आने वाले वनक्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान वनक्षेत्र के कुछ बिन्दुओ की GPS रीडिंग ली गई।

मौका पंचनामा बनाया बाद पढ़सुनकर हस्ताक्षर किये सो सही समय काम आवें।

मौका पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया।

<u>पंचो के हस्ताक्षर</u>

(Sub Eng.)
W.R.D.

RA Bhikangaon

बीटगार्ड आल्लपुरा

06.02.2018
CDO.WRD

पंचनामा

आज दिनांक 30.01.2019 को रोशिया तालाब योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र मे प्रभावित वन भूमि कक्ष क्र. 5 (आरक्षित वन क्षेत्र) सामान्य वनमण्डल खण्डवा की हो रही है। सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.) के पत्र क्र. 4985/मा.चि/रोशिया तालाब/2018 दिनांक 14.12.18 के तारतम्य मे संयुक्त निरीक्षण वन विकास निगम खण्डवा के श्री डी.पी. सोलंकी ~~[illegible]~~ उपवनक्षेत्रपाल, श्री लवकुश मालिये वन रक्षक तथा सामान्य वन मण्डल खण्डवा के श्री कैलाश मोडवे वन रक्षक परिसर रक्षक रोशिया व श्री संजय गेहलोद वन रक्षक परिसर सहायक रोशिया तथा श्री एस. चौहान अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग [illegible], श्री अनवर खान उपयंत्री, श्री सलीम पठान उपयंत्री जल संसाधन उप संभाग ओंकारेश्वर के द्वारा किया गया। एवं डूब प्रभावित वन भूमि 26.44 हे० का संयुक्त निरीक्षण किया गया। मौके पंचनामा लिखा जो पढ़कर सुनाया गया। बाद सत्यापन किये सो सही। मौका

मौका पंचनामा मेरे द्वारा लिखित [illegible] मिश्रा

पी.एस. चौहान
SDO WRD

(अनवर खान)
उपयंत्री

उपयंत्री
(सलीम पठान)

दुर्गाप्रसाद सोलंकी
उ.व.क्षे.

लवकुश मालिये
व.र. वनसेवक निगम

कैलाश मोडवे
[illegible]
30-01-2019

[illegible] (व.र.)
रोशिया

राजस्व निरीक्षक मंडल ऊंदा
तह० भीकनगांव

क्रमांक / कु० / रा.नि. / 2020 दिनांक 7/7/20

प्रति,
श्रीमान तहसीलदार महोदय
तह. भीकनगांव

विषय :-> कब्जा दिलाकर कब्जा रसीद प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ :-> माननीय कलेक्टर महोदय खरगोन का क्रं 11/अ-74/20-11 दिनांक 834/बाबद-2/2020 दि. 11/6/20 एवं श्रीमान्जी के का. दि. 13/6/20 के पालन में।

सेवा में,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प.ह.नं. 49 के ग्राम जोरिंगपुरा में दिनांक 7/7/20 को माननीय कलेक्टर महोदय का क्रं 11/अ/74/20-11 दिनांक 834/बाबद/2-20 खरगोन दि. 11/6/20 एवं श्रीमान्जी के क्रं/2511/री. 20 दिनांक 13/6/20 के पालन में ग्राम जोरिंगपुरा प.ह.नं. 49 सर्वे नं. 14/2 रकबा 11.616 हे. सर्वे नं. 16 रकबा 15.722 हे., सर्वे नं. 18 रकबा 1.378 सर्वे नं. 20 रकबा 12.299, सर्वे नं. 34/1 रकबा 13.321 कुल पांच सर्वे नं. रकबा कुल 60.586 हे. मद कि. चरनोई के पैकी रकबा 33.715 हे. भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म.प्र. शासन वन विभाग को कब्जे पर वन परिक्षेत्राधिकारी भीकनगांव की तत्कालीन भूमि के समस्त अतिक्रमण हटाते हुये आज मौके पर मैंने एवं हल्का पटवारी द्वारा कब्जा दिया गया एवं उपस्थित वन परिक्षेत्राधिकारी महो० भीकनगांव द्वारा कब्जा प्राप्त किया मौके पर दूसरे समय अनुविभागीय अधिकारी महो० वन संरक्षक भीकनगांव एवं इंजीनियर महो० वन संरक्षक उपस्थित रहे पश्चात कब्जा रसीद पंचनामा बनाकर श्रीमान्जी की सेवा में सविनय रिपोर्ट प्रस्तुत है।

संलग्न :->
(1) कब्जा रसीद
(2) मौका पंचनामा
(3) आदेश प्रति 17/6/20
(4) [illegible] प्रति

[signature] 7/7/20
राजस्व निरीक्षक
वृत्त भीकनगांव
(ऊंदा)

[signature] 7/7/20

कब्जा रसीद. 2/7/20

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष राजस्व निरीक्षक अंदड़ एवं हल्का पटवारी जैसिंगपुरा यह कब्जा रसीद लिख देते हैं कि आज दिनांक 2/7/20 को कार्यालय कलेक्टर महो. आ. क्र. 11/अ/74/20-11 दिनांक 694 / वाचक 2/20 खरगोन दिनांक 11/6/20 एवं श्रीमान एस.डी.ओ. क्र./2511/री. 20 दिनांक 19/6/20 के पालन में ग्राम जैसिंगपुरा प.ह.नं. 43 सर्वे नं. 12/2 रकबा 11.816 हे. सर्वे नं. 16 रकबा 15.722 हे., सर्वे नं. 18 रकबा 1.378, सर्वे नं. 20 रकबा 12.279 सर्वे नं. 37/1 रकबा 19.321 कुल पांच सर्वे नं. कुल रकबा 60.536 हे. मद कि. [illegible] में से पैकी रकबा 37.715 हे. क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म.प्र. शासन, वन विभाग को मौके पर वन परिक्षेत्राधिकारी भीकनगांव को [illegible] के [illegible] समक्ष [illegible] हुये आज मौके पर राजस्व निरीक्षक अंदड़ एवं हल्का पटवारी जैसिंगपुरा द्वारा कब्जा दिया गया एवं उपरोक्त वन परिक्षेत्राधिकारी महो. भीकनगांव द्वारा कब्जा प्राप्त किया मौके पर पूरे समय अनुविभागीय अधिकारी महो. जल संसाधन भीकनगांव एवं उनके इंजीनियर महो. उपस्थित रहे अतः कब्जा रसीद लिखी वही सो सही मौके पर [illegible] सनद रहे।

कब्जा लेने वाले

कब्जा देने वाले

2/7/20 रा.नि. अंदड़

व.स. भीकनगांव

2.7.2020

वन परिक्षेत्राधिकारी
भीकनगाँव

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप-संभाग क्र. 1
भीकनगांव (म.प्र.)

ह.प. जैसिंगपुरा

(बी.गा. भीकानगांव)

2/7/20
ए.ई.-[illegible]
जल संसाधन [illegible]

स्थल-पंचनामा दि. 02/07/202

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता पंचगण ग्राम जैसिंगपुरा प.ह.न. 49 के उपस्थित पंचगण यह पंचनामा लिख देते हैं कि आज दि० को श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 19/06/2020 अनुसार मौके पर जलसंसाधन विभाग भीकनगांव एवं उपस्थित पुलिस बल के समक्ष वन परिक्षेत्र अधिकारी भीकनगांव को राजस्व निरीक्षक अंदड एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर पुन: हुए अतिक्रमण समस्त को हटाया गया एवं मौके पर नि. परलोई मद भूमि का पैकी रकबा 39.715 हैक्टेयर कब्जा वन विभाग को दिया गया एवं मौके पर पंचनामा लिख दिया सो सही।

अण्डड 2/7/20

प.ह.न. 49

बलीराम

सोनू राजपूत

2/7/2020
R.I.

नायब तहसीलदार भीकनगांव

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप-संभाग क्र. 1
भीकनगांव (म.प्र.)

2.7.2020
वन परिक्षेत्राधिकारी
भीकनगांव

थ.प्र. भीकनगांव

// कार्यालय तहसीलदार तहसील भीकनगांव जिला खरगोन //

क्रमांक/2511/रीडर/2020 भीकनगांव दिनांक 19/06/20

प्रति,

राजस्व निरीक्षक
अन्दड
हल्का पटवारी
ग्राम जैसिगपुरा

विषय :- कब्जा दिलाकर कब्जा रशीद प्रस्तुत करने बाबद।

सन्दर्भ :- कार्यालय कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश कमांक 11/अ-74/20-11 दिनांक 894/वाचक-2/2020 खरगोन दिनांक 11.06.2020 के पालन मे।

—00—

उपरोक्त विषय मे लेख है, कि ग्राम जैसिगपुरा प0ह0न0-49 सर्वे नं 12/2 रकबा 11.816हे , सर्वे नं 16 रकबा 15.722 हे , सर्वे नं 18 रकबा 1.378, सर्वे नं 20 रकबा 12.299 हे सर्वे नं 37/1 रकबा 19.321 कुल 05 सर्वे नम्बरो का कुल रकबा 60.536 हे (मद नि0च0) मे से पैकि र कबा 39.715 हे0 राजस्व भूमि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(3) के तहत दर्शित मद से कम की जाकर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4(2) की कंडिका-05 के तहत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म0प्र0शासन, वन विभाग को सशर्त हस्तारण की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उक्त प्रयोजनार्थ पूर्व से राजस्व प्र0क0 33/अ-74/17-18 मे आदेश कमांक 855/वाचक-2/18 दिनांक 16.05.2018 से जारी आवटन आदेश निरस्त किया जाता है।

अतः उक्त आदेश के पालन मे संबंधित विभाग को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाकर कब्जा रशीद इस न्यायालय मे 03 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करे प्रश्नाधिन भूमि पर किसी प्रकार का अतिकमण है तो उसे हटाकर उक्त कब्जा संबंधित विभाग को सौंपे।

तहसीलदार
तहसील भीकनगॉव

पृ0क्रमांक/2512/रीडर/2020 भीकनगांव 19/06/20

प्रतिलिपि

1/- उप वनमण्डलाधिकारी भीकनगॉव की ओर भेजकर लेख है कि आप राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा प्राप्त करे।

2/- अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन भीकनगॉव की ओर नियत दिनांक को मौके पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

तहसीलदार
तहसील भीकनगॉव

NE: भीकनगांव

क्रमांक /क्र./रा.नि./2020 : दिनांक 29/6/20

प्रति,
श्रीमान तहसीलदार महोदय
भीकनगांव

विषय :- मौका निशान कब्जा रसीद मालूम करने बाबत।

संदर्भ :- ग्राम जैतपुरा प.ह.न. 49 अस्थायी भूमि का कब्जा उप वनमंडलाधिकारी भीकनगांव को देने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प.ह.न. 49 के ग्राम जैतपुरा प.ह.न. के सर्वे नं. 2/2, 16, 18, 20, 37/1 कुल रकबा 39.715 हे. भूमि राजस्व अभि. भूमि का कब्जा महोदय, दिनांक श्रीमानजी के 17/6/20 के आदेश अनुसार उप वनमंडलाधिकारी भीकनगांव को दिनांक 4/7/20 को दिया जाना है अतः मौके पर उक्त दिनांक को निरीक्षण स्थान को देखने हेतु [illegible] अमला उपलब्ध कराने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें।

अतः निवेदन प्रेषित।

प्रतिलिपि :-
1) श्रीमान उप वनमंडलाधिकारी भीकनगांव की ओर सूचनार्थ उक्त दिनांक को मौके पर उपस्थिति हेतु निवेदन।

(हस्ताक्षर)
29/6/20

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय खरगोन एवं बड़वानी (म.प्र)

ईमेल Khargon...@gmail.com

क्रमांक/ 499 /नजूल-19 /नग्रानि/20   खरगोन, दिनांक 21/05/2020

प्रति,

तहसीलदार
तहसील भीकनगांव
जिला खरगोन (म.प्र.)

विषयः- ग्राम जैसिंगपुरा, सर्वे नम्बर 12/2, रकबा 11.816 , सर्वे नम्बर 16 रकबा 15.722, सर्वे नम्बर 18 रकबा 1.378 हैक्टर, सर्वे नम्बर 20 रकबा 12.299 एवं सर्वे नम्बर 37/1 रकबा 19.321 कुल रकबा 60.536 हैक्टर में से पेकी 39.715 हैक्टर भूमि पर वृक्षारोपण हेतु आवंटन हेतु अभिमत बाबद।

संदर्भः- आपका पत्र क्रमांक 3120/रीडर/19 भीकनगांव दिनांक 06/09/2019

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार लेख है, कि ग्राम जैसिंगपुरा तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन **म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973** के अन्तर्गत गठित समस्त निवेश क्षेत्र एवं विकास योजना क्षेत्र से बाहर स्थित होने से इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है। अतः उक्त भूमि का आवंटन वृक्षारोपण हेतु किया जाता है, तो इस कार्यालय को आपत्ति नहीं। कृपया इस संबंध में आपकी ओर सादर सूचनार्थ।

नोटः- 01. प्रश्नाधीन स्थल यदि किसी नाले/नदी से लगे होने की स्थिति मे जल स्त्रोत/जल निकाय के उच्चतम स्तर से नाले से लगकर 9.00 मीटर एवं नदी के मामले में उच्चतम जल स्त्रोत से न्यूनतम 30.00 मीटर भूमि खुले के रूप छोड़ना आवश्यक होगा, जिस पर निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा।

02.मार्ग हेतु संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

20/5/2020

(सुनील जॉन मिंज)
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय खरगोन एवं बडवानी

पृ.क्रमांक/   /नजूल-19/नग्रानि/2020   खरगोन, दिनांक   /05/2020

प्रतिलिपिः-

1. कलेक्टर महोदय, जिला कलेक्ट्रेट खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ।

(सुनील जॉन मिंज)
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय खरगोन एवं बडवानी

// कार्यालय तहसीलदार तहसील भीकनगांव जिला खरगोन //

क्रमांक/2547/रीडर/2020 भीकनगांव दिनांक 24.06.2020

प्रति,

थान प्रभारी
थाना भीकनगॉव

विषय :– पुसिल बल उपलब्ध कराने बाबद।

—00—

उपरोक्त विषय मे लेख है, कि ग्राम जैसिंगपुरा प0ह0न0–49 सर्वे नं 12/2 रकबा 11.816हे , सर्वे नं 16 रकबा 15.722 हे , सर्वे नं 18 रकबा 1.378, सर्वे नं 20 रकबा 12.299 हे सर्वे नं 37/.1 रकबा 19.321 कुल 05 सर्वे नम्बरो का कुल रकबा 60.536 हे (मद नि0च0) मे से पैकि रकबा 39.715 हे भूमि पर दिनांक 26.06.2020 कब्जा दिलाने संबंधित कार्यवाही की जाना है । उक्त कार्यवाही मे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

अतः आप राजस्व निरीक्षक अन्दड श्री रजनीश उपाध्याय को आवश्यक पुलिस बल/महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।

तहसीलदार
तहसील–भीकनगॉव

पृ0क्रमांक/2548/रीडर/2020 भीकनगांव दिनांक 24.06.2020

प्रतिलिपि

1/– श्री रजनीश उपाध्याय राजस्व निरीक्षक अन्दड नियत दिनाक के पूर्व आप थाना प्रभारी से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार
तहसील–भीकनगॉव

राजस्व निरीक्षक मंडल ऊंचाड़

तह. भीकनगांव

क्रमांक /क्र./रा.नि./2020 दिनांक 24/6/20

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय

भीकनगांव

विषय :-> ग्राम जैसिंगपुरा के आर.० भूमि कब्जा दिलाकर कब्जा रसीद प्राप्त करने बाबत में अतिक्रमण हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने के संबंध में।

सन्दर्भ :-> श्रीमानजी का पत्र दिनांक 19/6/20

सेवा में,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पट नं. 49 ग्राम जैसिंगपुरा, रा.प्र.क्र. 33अ/74/17-18 क्र.प्र. 855/ बा.प.क्र.-2/18 दि. 16/5/18 एवं क्र.दि. कार्या. पत्र महो. क्र.दि. 11/6/20 पत्र के श्रीमान के आदेश 19/6/20 अनुसार शासकीय भूमि के कब्जा उप वनमंडलाधिकारी भीकनगांव को कब्जा निर्माण की उपस्थिति के दिनांक 26/6/20 को दिया जाना है।

अतः उपरोक्त दिनांक के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें।

101

24/6/20

(हस्ताक्षर)

24/6/20